संख्या- 81 / 2024 /229 / चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 07 फरवरी, 2024

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ के गैर वेतन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3981/सं0नि0-20(पुनर्वि0)/2023-24 दिनांक 11 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ के मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 17.07 लाख (रूपये सत्रह लाख सात हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित कर उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(4) जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(5) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(6) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति- 101- ललित कला शिक्षा- 16- उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को अनुदान -31- सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) मद से रू0 02.79 लाख, लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति- 101- ललित कला शिक्षा -23- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश -31- सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन) मद से रू0 07.94 लाख, लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति- 101- ललित कला शिक्षा- 25- संगीत महाविद्यालय, हरिहरपुर-आजमगढ़ -20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) मद से रू0 06.34 लाख अर्थात् कुल रू0 17.07 लाख की धनराशि को संक्रमित कर पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति- 101- ललित कला शिक्षा- 16- उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को अनुदान -20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 81 /2024 / 229 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- निदेशक, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम–9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर– 158)
A004-20232024-229-Char-2024 Jain Reapp

विषय:- जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ के गैर वेतन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001012500 (संगीत महाविद्यालय, हरिहरपुर-आजमगढ़)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,56,56,000 रुपये एक करोड़ छप्पन लाख छप्पन हजार मात्र	1,56,56,000 रुपये एक करोड़ छप्पन लाख छप्पन हजार मात्र	6,34,000 रुपये छह लाख चौंतीस हजार मात्र	6,34,000 रुपये छह लाख चौंतीस हजार मात्र	1,50,22,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख बाईस हजार मात्र	2023-2024
092	2205001012300 (अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान , उत्तर प्रदेश)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	93,74,000 रुपये तिरानवे लाख चौहत्तर हजार मात्र	17,94,000 रुपये सत्रह लाख चौरानवे हजार मात्र	7,94,000 रुपये सात लाख चौरानवे हजार मात्र	7,94,000 रुपये सात लाख चौरानवे हजार मात्र	85,80,000 रुपये पचासी लाख अस्सी हजार मात्र	2023-2024
092	2205001011600 (उ.प्र.जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को अनुदान)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	22,36,000 रुपये बाईस लाख छत्तीस हजार मात्र	12,79,000 रुपये बारह लाख उनासी हजार मात्र	2,79,000 रुपये दो लाख उनासी हजार मात्र	2,79,000 रुपये दो लाख उनासी हजार मात्र	19,57,000 रुपये उन्नीस लाख सत्तावन हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 17,07,000	₹ 17,07,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205001011600 (उ.प्र.जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को अनुदान)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र	17,07,000 रुपये सत्रह लाख सात हजार मात्र	17,07,000 रुपये सत्रह लाख सात हजार मात्र	72,07,000 रुपये बहत्तर लाख सात हजार मात्र	2023-2024
कुल				₹ 17,07,000	₹ 17,07,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :–

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3981/सं0नि0-20(पुनर्वि0)/2023-24 दिनांक 11 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ के मानक मद 20- सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 17,07,000/- (रूपये सत्रह लाख सात हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।
(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

संख्या:RE-budget-1-392-E-7-468-X-2023-24-दिनांक:06-02-2024

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरंद सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 81 /2024 / 229 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- निदेशक, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।